GCMS-2021/000016

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

रूखी बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– 136 एलआरएक्ट

नं. मुकदमा......05/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/01/2021	आज यह पत्रावली तहसीलदार लूनकरनसर से शुद्धि प्रकरण प्राप्त होने पर मुरतीब की गई । दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार लूनकरनसर से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली रहे। प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम खोखराना की सम्वत् 2072–2075 के खसरा नम्बर 364 तादादी 4.95 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 367 तादादी 3.71 हैक्टेयर कुल तादादी 8.66 हैक्टेयर भूमि में ओम प्रकाश प्रेम पि0 दानाराम कौम जाट साकिन देह दर्ज चला आ रहा है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट रोही ग्राम खोखराना के खाता संख्या 21 व 22 में जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में सहखातेदारों में प्रेम पुत्र दानाराम व रूखमा पत्नी स्व. दानाराम जाति जाट साकिन देह दर्ज हैं। जो विरास्तन द्वारा दानाराम के फौत होने पर दर्ज होकर आदिनांक चला आ रहा हैं। जबकि संलग्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड, परिचय पत्र व राशन कार्ड में प्रेमाराम पुत्र दानाराम व रूखी पत्नी स्व. दानाराम दर्ज हैं। अतः प्रार्थी उक्त दोनो खातों में प्रेम पुत्र दानाराम व रूखमा पत्नी स्व. दानाराम की जगह प्रेमाराम पुत्र दानाराम रूखी पत्नी स्व. दानाराम शुद्ध दर्ज करवाना चाहता हैं। जिसकी तस्दीक सरपंच ग्राम पंचायत खोखराना पहचान प्रमाण पत्र द्वारा की गई हैं। अतः उपरोक्तानुसार उक्त दानों खातों में शुद्धि की जानी उचित हैं उक्त सम्बन्ध में पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार लूनकरनसर द्वारा अनुशंसा की गई हैं। फलस्वरूप तहसीलदार लूनकरनसर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत रोही मौजा रोही ग्राम खोखराना के खाता संख्या 21 व 22 में जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में प्रेम पुत्र दानाराम व रूखमा पत्नी स्व. दानाराम की जगह प्रेमाराम पुत्र दानाराम रूखी पत्नी स्व. दानाराम शुद्ध दर्ज करने की आज्ञा प्रदान की जाती हैं। तहसीलदार लूनकरनसर को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नतीजा से दर्ज रजिस्टर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी लूणकरणसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:21:01 IST
Reason: SelfAttested